न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 113/2019

उनवान

1. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल जाति ब्राह्मण, अलमशहुर जोशी, निवासी मनोहरपुर हाल निवासी 28 शाहपुरा बाग आमेर रोड जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल जाति ब्राह्मण, अलमशहुर जोशी निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।

1/1 आलोक कुमार पुत्र अशोक कुमार

1/2 मनोज कुमार पुत्र अशोक कुमार

जाति ब्राह्मण, निवासी 29, 30 शाहपुरा बाग आमेर रोड जयपुर, राज0।

1/3 लोकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लों का मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

2. उपपंजीयक उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मातादीन शर्मा एवं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा वादी की ओर से
2. श्री रामगोपाल गुप्ता एवं श्री मदनलाल जाट प्रतिवादीगण की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 09.01.25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 933 रकबा 0.5000 है0, 934 रकबा 0.0900 है0, 936 रनकबा 0.0500 है0, 937 रकबा 0.0800 है0, 938 रकबा 0.1100 है0, 940 रकबा 0.2600 है0, 941 रकबा 0.1300 है0, 943 रकबा 0. 1600 है0, 944 रकबा 0.3300 है0, 945 रकबा 0.0300 है0, 946 रकबा 0.1700 है0, 947 रकबा 0.0100 है0, 948 रकबा 0.3900 है0, 949 रकबा 0.4400 है0, 953 रकबा 0.3800 है0, 954 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 3.3700 है0, वाकै ग्राम मनोहरपुर पटवार सर्किल मनोहरपुर तहत चाह कबीरवाला स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 बहिस्सा बराबर यानी प्रत्येक हिस्से 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है। चाह कबीर वाला में पानी सूख जाने पर आराजी मुतनाजा में सिंचाई हेतु बोरिंग करवाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने विद्युत संबंध ले रखा है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कभी भी किसी भी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही लगान का बंटवारा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र की आपसी सहमति से 50 हजार रूपये वार्षिक इजारे पर पप्पूलाल पुत्र मंगलचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी टीबावाली तन नवलपुरा से करवाते आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा उसके पुत्र आलोक जोशी के मध्य विगत कुछ समय से आबादी की सम्पत्तियों व अन्य तथा लेन देन की बाबत विवाद उत्पन्न होने से वादी को अपने हक हकूको तथा अधिकारों की रक्षार्थ अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र को दिलवाया जो उन्हे प्राप्त हो चुके तथा उक्त नोटिस का प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरासर गलत झूठा व मनमाना जवाब भी बदनियति पूर्ण आशय तथा अनुचित लाभ उठाने की गर्ज से वादी व उसके अधिवक्ता को भिजवाया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नागत आराजी को वादी व अपनी आपसी सहमति एवं बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होना गलत व मनमाना तथा भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं कीमति भूमि हथियाने की गर्ज से झूठा अंकित कराया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने तथाकथित बंटवारे का कोई विवरण भी अपने जवाब नोटिस में अंकित नहीं कराया है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारी की भूमि की सम्मलित मे काश्त करना अथवा [illegible] वाद पत्र की खण्ड संख्या 4 में अंकित तथ्यों के अनुसार संभव नहीं रहा है इस [illegible] बाबत् बंटवारा व लगान करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 अत्यन्त चतुर एवं चालाक व्यक्ति है जिसके मन में खोट है [illegible] वह आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये मनमाने तरीके से आराजी [illegible]जा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी केता को अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि का अन्तरण कर अन्तरणडीड पंजीबद्ध कराने तथा विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कराने को आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कानूनन रूप से प्रत्येक सह खातेदार का संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर विधि मान्य कब्जा होता है तथा सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के रूप में अजनबी केता का संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी भी विशिष्ट भू–भाग पर कोई कब्जा संभलाने अथवा देने तथा अजनबी केता को ऐसे किसी भू–भाग विशिष्ट का कब्जा प्राप्त करने अथवा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बनाये रखने को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के हौसले काफी बढ़े हुये है तथा वह आराजी मुतनाजा से वादी को उसके हिस्से 1/2 भाग की भूमि से येन केन प्रकार से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त करने तथा अन्य का कब्जा काश्त कराने को आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी नाजायज एवं मनमानी कार्यवाही की बाबत उलाहना दिया तो अर्सा 2 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नी आमादा फिसाद हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वह अतिशीघ्र ही भू-माफीया लोगो से मिलकर आराजी मुतनाजा के अन्तरित कर अन्तरण डीड पंजीबद्ध करायेगा तथा वादी को आराजी मुतनाजा के उसके हिस्से 1/2 भाग से जबरन बेदखल कर अन्य का कब्जा काश्त करायेगा तथा आराजी मुतनाजा व लगान का बंटवारा भी नहीं करायेगा। इस कारण प्रस्तुत वाद दायर करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि डिकी बंटवारा आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बहिस्सा बराबर बंटवारा नियमों के अनुसार बंटवारा कराया जाकर लगान का भी बंटवारा कराये जाकर खातेदार पृथक दर्ज कराये जावे तथा इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं डिकी स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र को बिना बंटवारा कराये अन्य को अन्तरित कर अन्तरण डीड पंजीबद्ध ना करे एवं कराये तथा किसी भी अजनबी को आराजी मुतनाजा के किसी भी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा ना करावे एवं वादी को उसके हिस्से 1/2 भाग की भूमि से एवं बाद बंटवारा जो भूमि उसके हिस्से में आवे उससे जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त ना करे एवं ना अन्य का करावे रिकॉर्ड व मौके पर यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता नरेश कुमार आत्रेय ने प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल गुप्ता ने अण्डरटेकिंग दी। वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी का जवाब पेश किया गया। दिनांक 23.12.2019 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा व वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी खारिज किया गया एवं फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया, फैसला

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गर्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी शामिल पत्रावली है। प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना–पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी पर बहस की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना–पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया एवं फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया, फैसला ...पत्र धारा 10 सपठीत धारा 151 सीपीसी शामिल पत्रावली है।

...पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब करने पर पत्रावली ...स्व मण्डल अजमेर प्रेषित की गई।

...माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक / राम / न्याय / टी.ए. निगरानी / 2022 / 4895 / बाडमेर / 07.02.2024 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा पत्रावली प्राप्त हुई एवं निर्णय प्रति संलग्न कर निर्देशित किया गया कि सहायक कलक्टर शाहपुरा का आक्षेपित आदेश दिनांक 25.08.2022 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि कि उनके समक्ष समान पक्षकारों एवं समान भूमि के बाबत् लंबित वाद–पत्रों को समेकित करते हुए आगामी सुनवाई की जाए। उक्त संबंध में वकील वादी ने मय फर्द दस्तावेजों की सूची के संलग्न एस.बी.सिविल रीट पीटीशन नंबर 2567 / 2024 पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.02.2024 पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन है एवं उक्त स्थगन संबंधित प्रकरण में 20.02.2024 को लिया गया है। उक्त स्थगन की प्रमाणित प्रति फर्द के साथ पेश की गई। सुना गया एवं पत्रावली व प्राप्त निर्णय प्रति राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.02.2024 में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद उनवानी आलोक जोशी बनाम राजकुमार वाद संख्या 35 / 2016 जो कि खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है, उक्त वाद पत्र एवं वाद पत्र का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अवलोकन उपरांत जाहिर आया कि उनवानी वाद आलोक जोशी बनाम राजकुमार दिनांक 02.02.2023 को अदमपैरवी, अदमहाजरी में खारिज किया जा चुका है। अतः उनवानी वाद पत्र आलोक जोशी बनाम राजकुमार खारिज होने से एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पर स्थगन होने से उक्त दोनों पत्रावलियां समेकित नहीं की जा सकती है। प्रकरण में उभयपक्ष को अदालती नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता मिनाक्षी शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता रामगोपाल गुप्ता उपस्थित आये।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की प्राथमिक डिकी पर बहस सुनी गई एवं दावा दिनांक 09.05.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2693 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र शीघ्रसुनवाई पेश कर पेश राजीनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे। प्रस्तुत राजीनामा संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण में अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। नकल दिलाई गई। प्रकरण में दिनांक 26.09.2024 को वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश कर कथन किया कि उभयपक्षों में राजीनाम हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 अशोक कुमार अपने संपूर्ण हिस्सा 1/2 को अपने पुत्रों के नाम राजीनामा के मुताबिक जरिये उपहार पत्र पंजीबद्ध करवाना चाहता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन का नोट होने की वजह से उपहार पत्र पंजीबद्ध नहीं हो पा रहा है। उक्त प्रार्थना–पत्र का विधिवत निस्तारण किया गया एवं मूल वाद के हमफिता पत्रावली संख्या 113/2022 में शिथिलता दी जाकर उपहार–पत्र पंजीबद्ध करवाने हेतु अनुमति दी गई व शेष स्थगन आदेश यथावत रखा गया। प्रकरण में अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 10 व आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। नकल दिलाई गई। प्रकरण में अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व में स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी को नोट प्रेस किया, इस बाबत् अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पर कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत् कथन किया। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी को खारिज किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता रामगोपाल गुप्ता ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। प्रकरण में पूर्व में अधिवक्ता मदनलाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 10 व आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी एवं अधिवक्ता रामगोपाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी पर वकील वादी ने कोई आपत्ति जाहिर नही की। उक्त प्रार्थना–पत्रों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना–पत्रों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त प्रार्थना–पत्रों का विधिवत निस्तारण करते हुए न्यायहित में उक्त प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किया गया। वकील वादी ने

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष ने आदेशिका पर सहमति बाबत् हस्ताक्षर कर कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी के दोनो आवेदन स्वीकार होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार 1/1, 1/2, व 1/3 के नाम भूमि पंजीकृत उपहार-पत्र के द्वारा हिस्से में आई है। अतः उक्त पक्षकारान् के मध्य बंटवारा होना है, इस बाबत् प्रकरण में पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को अपास्त कर प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे। वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट को अपास्त कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया।

वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश किया, जिसका निर्णय आदेशिका पर विस्तृत रूप से अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/5623 दिनांक 23.012.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत मुताबिक कुर्रेजात अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों में राजीनामा अनुसार बनाई गई है पक्षकार व वकील उभयपक्ष उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अंतिम डिक्री जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नंबर 933 रकबा 0.5000 है0, 934 रकबा 0.0900 है0, 936 रनकबा 0.0500 है0, 937 रकबा 0.0800 है0, 938 रकबा 0.1100 है0, 940 रकबा 0.2600 है0, 941 रकबा 0.1300 है0, 943 रकबा 0.1600 है0, 944 रकबा 0.3300 है0, 945 रकबा 0.0300 है0, 946 रकबा 0.1700 है0, 947 रकबा 0.0100 है0, 948 रकबा 0.3900 है0, 949 रकबा 0.4400 है0, 953 रकबा 0.3800 है0, 954 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 3.3700 है0, वाकै ग्राम मनोहरपुर पटवार सर्किल मनोहरपुर, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सं0	नाम पक्षकार	विभाजित / हिस्से में आई भूमि	कुल किता	कुल रकबा
	राजकुमार पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 933/2 रकबा 0.1800 है0, 937/1 रकबा 0.0200 है0, 938/1 रकबा 0.0300 है0, 940 रकबा 0.2600 है0, 941/1 रकबा 0.1250 है0, 943/2 रकबा 0.1420 है0, 944 रकबा 0.3300 है0, 945 रकबा 0.0300 है0, 946/1 रकबा 0.1650 है0, 947 रकबा 0.0100 है0, 948/5 रकबा 0.1460 है0, 949/4 रकबा 0.0290 है0, 949/6 रकबा 0.0030 है0	13	1.47 है0
	आलोक जोशी, मनोज कुमार जोशी पि0 अशोक कुमार ब.हि.ब. जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.0830 है0, 949/1 रकबा 0.0260 है0, 953/2 रकबा 0.1360 है0	03	0.2450 है0
3	मनोज कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 948/3 रकबा 0.0220 है0, 949/2 रकबा 0.1580 है0, 953/3 रकबा 0.0650 है0	03	0.2450 है0
4	आलोक जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 948/3 रकबा 0.0020 है0, 948/6 रकबा 0.0050 है0, 949/3 रकबा 0.2190 है0, 953/5 रकबा 0.0190 है0	4	0.2450 है0
5	लोकेश कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 933/1 रकबा 0.2150 है0, 943/1 रकबा 0.0100 है0, 948/1 रकबा 0.1100 है0, 953/1 रकबा 0.1474 है0, 953/4 रकबा 0.0126 है0, 954 रकबा 0.2400 है0	06	0.7350 है0
6	राजकुमार पुत्र मोतीलाल, हिस्सा 1/2, आलोक जोशी, मनोज कुमार जोशी पि0 अशोक कुमार हिस्सा 1/4, लोकेश कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 933/3 रकबा 0.1050 है0, 934 रकबा 0.0900 है0, 936 रकबा 0. 0500 है0, 937/2 रकबा 0.0600 है0, 938/2 रकबा 0.0800 है0, 941/2 रकबा 0.0050 है0, 943/3 रकबा 0.0080 है0, 946/2 रकबा 0. 0030 है0, 948/4 रकबा 0.0240 है0, 949/5 रकबा 0.0050 है0	10	0.4300 है0

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा एवं पक्षकारान् राजीनामे से बाध्य रहेंगे। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीरें जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमन चौधरी, **R.A.S**)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 113/2019

उनवान

1. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल जाति ब्राह्मण, अलमशहुर जोशी, निवासी मनोहरपुर हाल निवासी 28 शाहपुरा बाग आमेर रोड जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल जाति ब्राह्मण, अलमशहुर जोशी निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।
 1/1 आलोक कुमार पुत्र अशोक कुमार
 1/2 मनोज कुमार पुत्र अशोक कुमार
 जाति ब्राह्मण, निवासी 29, 30 शाहपुरा बाग आमेर रोड जयपुर, राज0।
 1/3 लोकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लों का मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मातादीन शर्मा एवं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा वादी की ओर से
2. श्री रामगोपाल गुप्ता एवं श्री मदनलाल जाट प्रतिवादीगण की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 09.01.25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नंबर 933 रकबा 0.5000 है0, 934 रकबा 0.0900 है0, 936 रनकबा 0.0500 है0, 937 रकबा 0.0800 है0, 938 रकबा 0.1100 है0, 940 रकबा 0.2600 है0, 941 रकबा 0.1300 है0, 943 रकबा 0.1600 है0, 944 रकबा 0.3300 है0, 945 रकबा 0.0300 है0, 946 रकबा 0.1700 है0, 947 रकबा 0.0100 है0, 948 रकबा 0.3900 है0, 949 रकबा 0.4400 है0, 953 रकबा 0.3800 है0, 954 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 3.3700 है0, वाकै ग्राम

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

मनोहरपुर पटवार सर्किल मनोहरपुर, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क्रसं0	नाम पक्षकार	विभाजित / हिस्से में आई भूमि	कुल किता	कुल रकबा
	राजकुमार पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 933/2 रकबा 0.1800 है0, 937/1 रकबा 0.0200 है0, 938/1 रकबा 0.0300 है0, 940 रकबा 0.2600 है0, 941/1 रकबा 0.1250 है0, 943/2 रकबा 0.1420 है0, 944 रकबा 0.3300 है0, 945 रकबा 0.0300 है0, 946/1 रकबा 0.1650 है0, 947 रकबा 0.0100 है0, 948/5 रकबा 0.1460 है0, 949/4 रकबा 0.0290 है0, 949/6 रकबा 0.0030 है0	13	1.47 है0
2	आलोक जोशी, मनोज कुमार जोशी पि0 अशोक कुमार ब.हि.ब. जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.0830 है0, 949/1 रकबा 0.0260 है0, 953/2 रकबा 0.1360 है0	03	0.2450 है0
3	मनोज कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 948/3 रकबा 0.0220 है0, 949/2 रकबा 0.1580 है0, 953/3 रकबा 0.0650 है0	03	0.2450 है0
4	आलोक जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 946/3 रकबा 0.0020 है0, 948/6 रकबा 0.0050 है0, 949/3 रकबा 0.2190 है0, 953/5 रकबा 0.0190 है0	4	0.2450 है0
5	लोकेश कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 933/1 रकबा 0.2150 है0, 943/1 रकबा 0.0100 है0, 948/1 रकबा 0.1100 है0, 953/1 रकबा 0.1474 है0, 953/4 रकबा 0.0126 है0, 954 रकबा 0.2400 है0	06	0.7350 है0
6	राजकुमार पुत्र मोतीलाल, हिस्सा 1/2, आलोक जोशी, मनोज कुमार जोशी पि0 अशोक कुमार	आराजी खसरा नंबर 933/3 रकबा 0.1050 है0, 934 रकबा 0.0900 है0, 936 रकबा 0.0500 है0, 937/2 रकबा 0.0600 है0, 938/2 रकबा 0.0800 है0, 941/2 रकबा 0.0050 है0,	10	0.4300 है0

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

	हिस्सा 1/4, लोकेश कुमार जोशी पुत्र अशोक कुमार हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	943/3 रकबा 0.0080 है0, 946/2 रकबा 0.0030 है0, 948/4 रकबा 0.0240 है0, 949/5 रकबा 0.0050 है0		

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा एवं पक्षकारान् राजीनामे से बाध्य रहेंगे। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 09.01.25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अमन चौधरी, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) ग्रामीण
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner